N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0110 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/06/2024 21:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	8
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/06/2024 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/06/2024 21:42:53 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** RSRDC SETU BHWAN, JHALANA DOONGRI JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJESH KUMAR RAO

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 08/12/1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GHARADANA KALAN, SINGHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GHARADANA KALAN, SINGHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESHCHAND GUPTA		पिता:SAWALIYA RAM GUPTA	1. D 205,BHVY GREEN APARTMENT,JAGATPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	LAXMAN SINGH		पिता:PRATAP SINGH GUJAR	1. VILLAGE KHKHGAWALI,GUJAR MAOHLLA,NAGAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	SIYARAM CHANDRAWAT		पिता:KANDUREE LAL MEENA	1. E 33,KUSUM VIHAR,JAGATPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
4	MANISH THEKEDAR		पिता:Na Malum	1. RSRDC,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

5	RAJKRISHAN LUTHARA		पिता:HANS RAJ LUTHARA	1. B 29,GOVIND MARG,ADARSH NAGAR,JAIPUR CITY
6	SUDHEER MATHUR AND OTHERS GOV.SER. AND PRIVET		पिता:AANANDI LAL MATHUR	1. APARTMENT 44 BHUTAL,UMMED HERITAGE RATANADA,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 02.06.2024 को समय 02.00 पीएम पर श्री राजेश कुमार राव, पुलिस निरीक्षक, तकनीकी शाखा भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर द्वारा श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित एक गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार मन् छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर को प्राप्त हुई। उक्त गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को विश्वस्त सूत्रों से इस सार की सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान राज्य सडक विकास निगम (RSRDC) में सेवानिवृति उपरान्त कार्यरत श्री महेशचंद गुप्ता द्वारा विभिन्न जिलों में पदस्थापित परियोजना निदेशकों को उनके क्षेत्र में बजट आंवटन के लिये प्रबन्ध निदेशक, आएसआरडीसी के लिए भारी मात्रा में रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। प्राप्त सूचना व्यापक स्तर पर आरएसआरडीसी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न हो रहे लोक सुरक्षा के संभावित खतरे से सम्बन्धित होने के मध्यनजर तकनीकी शाखा द्वारा महेशचंद गुप्ता के मोबाईल नं. व का तकनीकी विश्लेषण एवं गोपनीय सत्यापन किया गया तो प्राप्त सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इस पर श्री महेशचंद गुप्ता द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. संदिग्ध परियोजना निदेशक, भरतपुर श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. , , परियोजना निदेशक, सीकर श्री बाबूलाल द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. . . . तथा परियोजना निदेशक, धौलपुर श्री सियाराम चन्द्रावत द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. व को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री राहुल शर्मा, हैडकानि. 80 तथा श्री हिम्मत सिंह हैडकानि. 146 द्वारा सुना गया तथा वार्ताओं में आये तथ्यों के आधार पर तकनीकी विश्लेषण एवं गोपनीय सत्यापन भी किया गया। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री महेशचंद गुप्ता, जो कि सेवानिवृति उपरान्त आरएसआरडीसी की लेखाशाखा में एएओ का कार्य देख रहे है। श्री महेशचंद गुप्ता द्वारा जिलों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये सम्बन्धित परियोजना निदेशकों तथा ठेकेदारों से मिलीभगत कर, बजट आंवटन और बिल भुगतान करने के लिये आरएसआरडीसी के प्रबन्ध निदेशक श्री सुधीर माथुर के लिये रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है और चाहे अनुसार बजट आवंटन और बिल भुगतान करवाया जा रहा है। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं से यह भी प्रकट हुआ है कि श्री महेशचंद गुप्ता के अतिरिक्त उनके इस कृत्य में परियोजना निदेशक, भरतपुर श्री लक्ष्मण सिंह तथा परियोजना निदेशक, सीकर श्री बाबूलाल भी सम्मिलित है, जिनके द्वारा प्रबन्ध निदेशक, आरएसआरडीसी के लिये सम्बन्धित ठेकेदारों से एकत्रित कर श्री महेशचंद गुप्ता को रिश्वत राशि नियमित रूप से पहुंचाई गई है। पूर्व की वार्ताओं के क्रम में परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी

धौलपुर श्री सियाराम मीणा तथा परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी, भरतपुर श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा महेशचंद गुप्ता को ठेकेदारों के बिलों के कमीशन के रूप में दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर जयपुर आने का आश्वासन दिया गया है। उपरोक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त सम्बन्धित लोकसेवकों एवं अन्य व्यक्तियों को रिश्वत आदान-प्रदान करते हुए पकडने पर राजस्थान राज्य सडक विकास निगम (RSRDC) में व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की बरामदगी किया जाना संभव हो सकता है उक्त गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट की पुष्ठ पर श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर व प्रभारी तकनीकी अनुभाग के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसर अग्रीम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठाकिंत करते हुए निर्देशानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार राव, पुलिस निरीक्षक, तकनीकी विभाग, भ्र.नि.ब्यूरो, राज. जयपुर से सामन्जस्य रखते हुये अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्ध किया गया। दिनांक 03.06.2024 को समय 9.30 एएम पर श्री राजेश राव, पुलिस निरीक्षक, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के कार्यालय पत्रांक 131 दिनांक 03.06.2024 से श्री हिमांशु, अति. पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर को सम्बोधित करते हुये दिनांक 02.06.2024 को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई सूत्र सूचना में सम्बंधित संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाईल नम्बरो को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिया जाकर अन्तावरोध अवधी की वार्ताओ में से संदिग्ध व्यक्तियो के मध्य भ्रष्ट आचरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण वार्ताओ का सार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। उक्त पत्रांक 131 दिनांक 03.06.2024 मय वार्ताओं का सार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर तृतीय जयपुर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठाकिंत करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त उक्त गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट पर अग्रीम कार्यवाही करने के क्रम में समय 10.00 एएम पर मन् पु. नि. को गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में संदिग्धों के मध्य रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही संभावित होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर चैकी हाजा के समस्त स्टाफ को अलर्ट करते हुये दोनो स्वतन्त्र गवाहों को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। कुछ समय पश्चात पूर्व से पाबन्धशुदा दो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित हुये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम जसवंत गौड पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह गौड, उम्र-42 साल, जाति-राजपूत, निवासी-20, श्री निधि विहार, मांग्यावास, मानसरोवर, पुलिस थाना-मानसरोवर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मो0नं0 ; दुसरे ने अपना नाम विष्णु पारीक पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण पारीक, उम्र-38 साल, जाति-ब्राहम्ण, निवासी-81/19, सेक्टर-8, प्रतापनगर, पुलिस थाना-प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मो0नं0 होना बताया। उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को उक्त गोपनीय सूत्र सूचना व की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करावकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर उक्त दोनो द्वारा पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। समय 12.00 पीएम पर श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन पुलिस निरीक्षक मय श्री सत्यवीर पु0नि0, श्री हरिभजन सउनि, श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि. 99, श्री राजेन्द्र कुमार हैडकानि0 नं0 51, श्री मनीष कुमार हैड कानि. 31, श्री सुभाषचन्द कानि0 नं0 592, श्रीमती पिंकी कंवर शेखावत म.कानि. 11, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, मय स्वतंत्र गवाहन श्री जसवंत गौड व श्री विष्णु पारीक मय सरकारी वाहनांे मय चालकों व लेपटाॅप प्रिन्टर, ट्रेप बाॅक्स व अन्य आवश्यक साजो सामान के सूत्र सूचना में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में तकनीकी अनुभाग के सदस्यों से सामंजस्य रखते हुए वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय राजस्थान राज्य सडक विकास निगम, ट्रांसपोर्ट नगर रोड झालाना डूंगरी जयपुर की ओर रवाना होकर रिश्वत राशि के आदान-प्रदान के संभावित स्थान कार्यालय राजस्थान राज्य सडक विकास निगम, ट्रांसपोर्ट नगर रोड झालाना डूंगरी जयपुर के पास पहुंचे, जहां पर पूर्व से मौजूद तकनीकी अनुभाग के सदस्य श्री केशर सिंह स0उ0नि0 द्वारा अवगत कराया कि अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों से सेवानिवृत्ति उपरांत कार्यरत श्री महेशचन्द गुप्ता व श्री लक्ष्मण सिंह परियोजना निदेशक भरतपुर, श्री सियाराम परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर के मध्य रिश्वत लेन-देन होने की संभावना है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम के तकनीकी अनुभाग के मौजूद सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रिश्वत लेन-देन के इंतजार में अपनी पहचान छुपाते हुये गोपनीय रूप से ट्रेप जाल बिछाकर कार्यालय राजस्थान राज्य सडक विकास निगम, ट्रांसपोर्ट नगर रोड झालाना डूंगरी जयपुर के आस-पास मुकीम हुये । समय 2.30 पीएम पर दर्ज रहे कि कार्यालय राजस्थान राज्य सडक विकास निगम, ट्रांसपोर्ट नगर रोड झालाना डूंगरी जयपुर के आस-पास मुकीम रहते हुए उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार तकनीकी विभाग के सदस्यों से सामंजस्य बनाते हुये समय करीब 01.35 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक को तकनीकी शाखा के श्री केशर सिंह सउनि ने बताया कि श्री महेशचन्द गुप्ता हाल कंसल्टेन्ट आरएसआरडीसी व श्री लक्ष्मण सिंह, परियोजना निदेशक भरतपुर, श्री सियाराम, परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर की आपस में मीटिंग हो चुकी है और संभवतः उनके मध्य रिश्वती राशि का आदान-प्रदान किया जा चुका है तथा श्री महेशचन्द द्वारा अपने ड्राईवर श्री प्रेम सिंह को अपने कार्यालय में टिफिन लाने और सामान ले

जाने के लिये बुलाया, कुछ देर बाद श्री प्रेम सिंह ड्राईवर आरएसआरडीसी कार्यालय भवन से बाहर आकर कार्यालय परिसर की पार्किंग में खडी कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 आरजे 45 सीजेड 5196 में रूपये रखता नजर आया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त हमराह एसीबी टीम को गोपनीय रूप से अलर्ट कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये तकनीकी अनुभाग टीम से समन्वय कर मय स्वतंत्र गवाहान व समस्त ट्रेप टीम को हमराह लेकर आरएसआरडीसी जयपुर की पार्किंग में खड़ी कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 आरजे 45 सीजेड 5196 के पास मौजूद ड्राईवर श्री प्रेम सिंह को डिटेन किया गया। तदुपरांत मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व समस्त ट्रेप टीम का परिचय देकर श्री प्रेम सिंह से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रेम सिंह सैनी पुत्र श्री रामभरोसी, जाति-सैनी, उम्र-34 साल, निवासी-ग्राम-बाडा बुजुर्ग, तहसील-महवा, पुलिस थाना-सलेमपुर, जिला-दौसा हाल निवासी-म0नं0 86, श्याम वाटिका, पुलिस थाना-खोनागोरियान जयपुर, प्राईवेट कार चालक, मोबाईल नम्बर· होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रेम सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं महेशचन्द गुप्ता जी की कार चलाता हूं परंतु मैं उनकी कार का स्थाई चालक नहीं हूं, जब मुझे महेशचन्द गुप्ता जी बुलाते है तब मैं उनकी कार पर ड्राईवरी करने आता हूं, आज श्री महेशचन्द गुप्ता जी के बुलाने पर मैं उनकी कार चलाकर उनके साथ इस कार्यालय में आया हूं, श्री प्रेम सिंह से श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा भिजवाये गये सामान के बारे में पूछने पर बताया कि श्री महेशचन्द गुप्ता जी ने मुझे फोन करके टिफिन लाने और कुछ सामान ले जाने के लिये कहा था, जिस पर मैं महेशचन्द गुप्ता जी के कार्यालय में जाकर उनको टिफिन दिया और उन्होंने मुझे 500-500 की तीन गड्डियां खुली अवस्था में दी, जिनको कार की डेस्क बोर्ड में रखने के लिये कहा, जिस पर मैंने उक्त रूपयों को लाकर कार की डेस्क बोर्ड में रखे है, मैंने उक्त रूपयों को गिना नहीं था, उक्त रूप्यों के बारे में श्री महेशचन्द गुप्ता ने कुछ नहीं बताया था और सिर्फ गाडी में रखने के लिये कहा था। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 आरजे 45 सीजेड 5196 की तलाशी ली गई तो कार की डेस्क बोर्ड में 500-500 रूपये की तीन गड्डियां खुली अवस्था मिली, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 240 नोट कुल राशि 1,20,000/रूपये होना बताया। उक्त संदिग्ध रिश्वती राशि को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर जप्त किया गया। उक्त कार की तलाशी में अन्य कोई संदिग्ध वस्तु/दस्तावेज नहीं पाये गये व उक्त कार को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, जिसको पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। श्री प्रेम सिंह ड्राईवर को हमराह लिया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह, परियोजना निदेशक व श्री सियाराम चन्द्रावत, परियोजना निदेशक को आरएसआरडीसी कार्यालय में डिटेन करने के लिये जाप्ते को रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री महेशचन्द गुप्ता को डिटेन कर पूछताछ हेतु श्री केशर सिंह सउनि के बतायेनुसार मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम को साथ लेकर आरएसआरडीसी के कार्यालय के प्रथम तल पर पहुंचे जहां पर तकनीकी शाखा के श्री केशर सिंह सउनि व श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैडकानि0 मौजूद मिले, जिनको हमराह लेकर प्रथम तल पर बने पर श्री महेशचन्द गुप्ता के केबिन में गये और केबिन में एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाहान, हमराहियान जाप्ते का संक्षिप्त परिचय देकर केबिन में मौजूद व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सांवलियाराम गुप्ता, उम्र-67 साल, निवासी-जाट की सराय स्टेडियम के सामने, बयाना रोड, पुलिस थाना-हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल निवास-डी-205, भव्य ग्रीन अपार्टमेन्ट, जगतपुरा जयपुर (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर मोबाईल नम्बर : होना बताया और बताया कि मैं दिसम्बर 2017 मे सहायक लेखाधिकारी, ट्रेजरी करौली के पद से सेवानिवृत्त हुआ था, इसके बाद मैं दिसम्बर 2022 से आरएसआरडीसी में कंसल्टेन्ट अकाउंट्स के पद पर संविदा पर नियुक्त हुआ था, मैं आरएसआरडीसी की यूनिट धौलपुर, भरतपुर एवं अतिरिक्त कार्यभार जयपुर मुख्यालय पर लेखा सलाहकार का कार्य करता हूं। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा अपने ड्राईवर प्रेम सिंह से कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 आरजे 45 सीजेड 5196 की डेस्क बोर्ड में रखवाये गये 1,20,000/रूपये के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उक्त 1,20,000/रूपये मुझे श्री लक्ष्मण सिहं परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी भरतपुर ने दिये है तथा शेष 30,000 /रूपये मेरे स्वयं के है, उक्त राशि 1,20,000/रूपये मैंने अभी अभी मेरे ड्राईवर प्रेम सिंह को बुलाकर गाडी के डेस्क बोर्ड में रखने के लिये दिये थे, लक्ष्मण सिंह परियोजना निदेशक द्वारा दिये गये 90,000/रूप्ये के संबंध में पूछने पर श्री महेशचन्द गुप्ता ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अन्तावरोध वार्ताओं मुख्यतः वार्ता दिनांक 30.05.2024 समय 8.41.55 पर हुई वार्ता से प्रकट हुये तथ्य जिसमें लक्ष्मणसिंह द्वारा श्री महेशचन्द गुप्ता को ठेकेदारों से आने वाले कमिशन की जानकारी देते हुये अन्त में आरपी शर्मा के बिलों से संबंधित रिश्वत राशी स्वयं लेकर आने का कहा जाता है, उक्त तथ्य से श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह पीडी से प्राप्त राशि रिश्वत राशि होने की पुष्टी होती है। श्री महेशचन्द गुप्ता से अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों व एमडी आरएसआरडीसी के लिए रिश्वत राशि लेने एवं सियाराम पीडी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर बताया कि मैंने एमडी, आरएसआरडीसी के लिये कोई रिश्वती राशि नहीं ली है और ना ही मेरे द्वारा बिल पास कराने एवं बजट आवंटन कराने में कोई सहयोग किया जाता हैं तथा ना ही आज मैंने एमडी श्री सुधीर माथुर के लिये कोई रिश्वती राशि ली है तथा मेरी श्री सियाराम मीणा, परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी धौलपुर से रिश्वत राशि के संबंध कोई वार्ता नहीं हुई और ना ही मैंने उनसे कोई रिश्वती राशि प्राप्त की, इसके विपरीत अन्तावरोध वार्ताओं से श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा

एमडी आरएसआरडीसी के लिए रिश्वत राशि लेने एवं सियाराम मीणा से रिश्वत राशि प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुये है। इस तरह श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा स्वयं के लिए एवं एमडी आरएसआरडीसी के लिए परियोजना निदेशकों से उनके द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त की गई रिश्वत राशि प्राप्त कर उनके चाहे अनुसार बजट आंवटन करने तथा बिलों का भुगतान करने के तथ्य पाये गये है। तत्पश्चात संदिग्ध श्री महेशचन्द गुप्ता के पास मिले दो मोबाईल फोन जिसमें एक आईफोन 15 प्रो व दूसरा सैमसंग एस22 बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने पर स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक के पास सुरक्षित रखवाये, जिनको निरीक्षण कर पृथ्क से जरिये फर्द जप्त किया गया। इसके बाद श्री महेशचन्द गुप्ता की स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत गौड से तलाशी लिवाई गई तो श्री महेशचन्द गुप्ता के पास एक पर्स मिला, जिसमें 6490/रूपये व पेंट की जेब में 15,000/रूपये नकद मिले, जिनके बारे में श्री महेश चन्द गुप्ता से पूछा तो उसने बताया कि 6490/रूपये घरेलु कार्य के लिए होना बताया एवं 15000/- रूपये के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उक्त 15000/- रूपये को संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी लिया गया तथा 6490/रूपये मय पर्स स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत गौड़ के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरएसआरडीसी के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित श्री मिखिल गुप्ता, परियोजना निदेशक क्वालिटी चैक-प्रथम आरएसआरडीसी के कक्ष से डिटेनशुदा श्री लक्ष्मण सिंह, परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर को मौजूद स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप टीम व अपना संक्षिप्त परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह गुर्जर, उम्र-43 साल, निवासी-गांव-खखावली, गुर्जर मौहल्ला, पुलिस थाना-जालूकी, तहसील-नगर, जिला भरतपुर हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर मोबाईल नं0 , होना बताया। तदुपरांत मन पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा उपयोग में लिये जा रहे एक मोबाईल फोन आईफोन 14 प्रो को बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक के पास सुरक्षित रखवाये, जिसका पृथ्क से निरीक्षण कर जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके बाद श्री लक्ष्मण सिंह की स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत गौड से तलाशी लिवाई गई तो श्री लक्ष्मण सिंह के पास एक पर्स मिला, जिसमें 7100/रूपये व पेंट की जेब में 22,500/रूपये नकद मिले, जिनके बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह से पूछा गया तो उसने 7100/रूपये घरेलु कार्य हेतु बताया तथा राशि 22,500/-रूपये के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उक्त 22,500/-रूपये को संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी लिया गया तथा 7100/-रूपये स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत गौड़ के पास सुरक्षित रखवाये गये। श्री लक्ष्मण सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं 16 मार्च 2024 से आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत हूं। मेरे द्वारा साईट का निरीक्षण करना, संवेदकों द्वारा किये गये कार्यो के बिलों का भुगतान कराना, कार्यो को गुणवत्तापूर्वक निर्माण करवाना इत्यादि कार्य किया जाता है। मैं आज आरएसआरडीसी कार्यालय जयपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट भरतपुर के निर्माण के संबंध में प्लान के डिस्कशन के लिये एवं उच्चाधिकारियों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कम्प्लायंस को चैक कराने के लिये एक्शन क्वालिटी कंट्रोल आरएसआरडीसी जयपुर में आया था। मैं आज घर से मेरी हुण्डई आई20 कार नं0 आरजे02 सीई 1567 ग्रे कलर से जयपुर आया था। तदुपरांत संदिग्ध श्री लक्ष्मण सिंह से सूत्र सूचना में वर्णित वार्ताओं में श्री महेशचन्द गुप्ता, कंसल्टेन्ट अकाउंट्स से ठेकेदारों के बिलो के भुगतान के संबंध में रिश्वती राशि ठेकेदारों से इकट्ठा कर लेने व एमडी श्री सुधीर माथुर के लिये श्री महेशचन्द गुप्ता को देने संबंधी वार्ता के संबंध में पूछा तो संदिग्ध श्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा संवेदको से बिल भुगतान, कार्य की गुणवत्ता चैकिंग व साईट की समीक्षा की एवज में किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि नहीं ली जाती है और ना ही मेरे द्वारा ठेकेदारों से बिलो के भुगतान की एवज में रिश्वती राशि लेकर श्री महेश चन्द गुप्ता को एमडी श्री सुधीर माथुर के लिये दी जाती है, मेरे द्वारा महेशचन्द गुप्ता से आॅडिट पैरा, एसएनए अकाउंट से यूनिट आॅफिस के लिये ज्यूडिसियल के चल रहे कार्यो के लिये भुगतान कराने से संबंधित पैसे की बात होती है, इसके अलावा मेरी महेशचन्द गुप्ता जी से कोई बात नहीं होती है। अन्तावरोध वार्ताओं मुख्यतः वार्ता दिनांक 30.05.2024 समय 8.41.55 पर हुई वार्ता से प्रकट हुये तथ्य जिसमें लक्ष्मणसिंह द्वारा श्री महेशचन्द गुप्ता को ठेकेदारों से आने वाले कमिशन की जानकारी देते हुये अन्त में आरपी शर्मा के बिलों से संबंधित रिश्वत राशी स्वयं लेकर आने का कहा जाता है, उक्त तथ्य से श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह पीडी से प्राप्त राशि रिश्वत राशि होने की पुष्टी होती है। तत्पश्चात श्री महेशचन्द गुप्ता एवं श्री लक्ष्मणसिंह की आमने-सामने पूछताछ की गई तो श्री महेशचन्द गुप्ता द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की पुनः पुष्टी की गई और बरामदशुदा संदिग्ध राशि 1,20,000/- रूपये में 90 हजार रूपये लक्ष्मणसिंह द्वारा ही देना बताया। तत्पश्चात आरएसआरडीसी के प्रथम तल पर स्थित श्री आर0के0 लूथरा, चीफ प्रे◌ाजेक्ट मैनेजर-द्वितीय के कक्ष से डिटेनशुदा श्री सियाराम चन्द्रावत, परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर को मौजूद स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप टीम व अपना संक्षिप्त परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सियाराम चन्द्रावत पुत्र श्री कन्दूरी लाल मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-मण्डावरा, पोस्ट-कुडगांव, पुलिस थाना-कुडगांव, जिला करौली हाल किरायेदार-ई-33, कुसुम विहार, जगतपुरा जयपुर हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआडीसी युनिट धौलपुर मोबाईल नम्बर , होना बताया। तदुपरांत मन पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री सियाराम चन्द्रावत द्वारा उपयोग में लिये जा रहे दो मोबाईल जिसमें एक मोबोईल फोन आईफोन 14 प्रो व दूसरा मोबाईल वन प्लस को बतौर वजह सबूत स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक के पास सुरक्षित रखवाये, जिनको पृथ्क से निरीक्षण कर जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके बाद श्री सियाराम चन्द्रावत की

स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक से तलाशी लिवाई गई तो श्री सियाराम चन्द्रावत के पास एक पर्स मिला, जिसमें 10,260/- रूपये नकद मिले, जिसके बारे में पूछने पर बताया कि उक्त 10,260/-रूपये घरेलु खर्चे के है। उक्त 10,260/- रूपये स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु पारीक के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात श्री सियाराम चन्द्रावत ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं 17 जनवरी 2023 से परियोजना निदेशक के पद पर आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा साईट का निरीक्षण करना, संवेदकों द्वारा किये गये कार्यो के बिलों का भुगतान कराना, कार्यो को गुणवत्तापूर्वक निर्माण करवाना इत्यादि कार्य किया जाता है। मैं आज आरएसआरडीसी जयपुर में क्रिटिकल केयर ब्लाक धौलपुर के मास्टर प्लान को अनुमोदन हेतु राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर में भिजवाने हेतु आरएसआरडीसी मुख्यालय जयपुर आया था। तत्पश्चात संदिग्ध श्री सियाराम चन्द्रावत से सूत्र सूचना में वर्णित वार्ताओं में श्री महेशचन्द गुप्ता, कंसल्टेन्ट अकाउंट्स से रिश्वती राशि ठेकेदारों से इकट्ठा कर लेने व एमडी श्री सुधीर माथुर के लिये श्री महेशचन्द गुप्ता को देने संबंधी वार्ता के संबंध में पूछा तो संदिग्ध श्री सियाराम चन्द्रावत ने बताया कि मेरे द्वारा संवेदको से बिल भुगतान की एवज में किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि नहीं ली जाती है और मेरे द्वारा ठेकेदारों से बिलो के भुगतान की एवज में रिश्वती राशि लेकर श्री महेशचन्द गुप्ता को एमडी श्री सुधीर माथुर के लिये नहीं दी जाती है। अन्तावरोध वार्ताओं मुख्यतः वार्ता दिनांक 27.05.2024 समय 14.50.36 एवं दिनांक 28.05.2024 समय 16.57.14 से प्रकट हुये तथ्यों के परिपक्ष्य में श्री सियाराम चन्द्रावत द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्य सही नही पाये गये। तत्पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में श्री सियाराम चन्द्रावत की हुण्डई ओरा कार नं0 आरजे 34 टीए 1687 की तलाशी ली गई, जिसमें एक काले रंग का हैण्ड बैग मिला, जिसमें 44,000/रूपये, दो पर्स, आधार व पेनकार्ड आदि मिले। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सियाराम चन्द्रावत से बैग में मिली राशि 44,000/रूपये के बारे में पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर बैग की तलाशी में मिली उक्त राशि व सामान को कब्जा एसीबी लिया गया तथा संदिग्ध वाहन कार नं. आरजे 34 टीए 1687 को जरिये फर्द पृथ्क से जप्त किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिटेनशुदा संदिग्ध श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्री सियाराम चन्द्रावत को निगरानी हेतु उपस्थित जाप्ते को सुपुर्द किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक संदिग्ध श्री महेशचन्द गुप्ता मय स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर संदिग्ध के कार्यालय कक्ष की तलाशी हेतु उसके केबिन में पहुंचकर तलाशी ली तो श्री महेशचन्द गुप्ता की टेबल पर डाक-पेढ में बंधी हुई एक पत्रावली मिली, जिसका अवलोकन किया तो उक्त पत्रावली के ऊपर एक अग्रेषण पत्रांक 250 दिनांक 27.05.2024 द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह पी0डी0 भरतपुर के हस्ताक्षर किये हुये मिला, जो संदिग्ध होने पर कब्जा एसीबी लिया गया, जिसको नियमानुसार जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गया। उक्त पत्रावली के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु/राशि/दस्तावेजात उक्त केबिन में नहीं मिले। चूंकि श्री केशरसिंह एएसआई द्वारा पूर्व में बताया गया था कि सियाराम पीडी धौलपुर एवं लक्ष्मणसिंह पीडी भरतपुर श्री आर.के. लुथरा, चीफ प्रोजक्त मैनजेर से भी आकर मिले थे तथा श्री सियाराम मीणा श्री आरके लूथरा के कक्ष में ही मिला था। अतः उक्त कक्ष की तलाशी आवश्यक प्रतीत होने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर संदिग्ध श्री आर0के0 लूथरा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर-द्वितीय आरएसआरडीसी जयपुर के कार्यालय कक्ष की तलाशी हेतु उसके कार्यालय कक्ष में पहुंचा, तो श्री आर0के0 लूथरा अपने कार्यालय कक्ष में नहीं मिला। चूंकि आर0के0लूथरा के कार्यालय कक्ष की तलाशी लेना आवश्यक है। अतः श्री आर0के0 लूथरा के अनुपस्थित में नियमानुसार तलाशी शुरू की गई तो उसकी टेबल पर डाक-पेड में बंधी हुई एक पत्रावली मिली, जिसके ऊपर एक अग्रेषण पत्रांक 274 दिनांक 29.05.2024 द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह पी0डी0 भरतपुर के हस्ताक्षर किये हुये मिला व एक प्लास्टिक फोल्डर में अग्रेषण पत्रांक 286 दिनांक 03.06.2024 द्वारा श्री एस0आर0 चन्द्रावत, पी0डी0 धौलपुर के हस्ताक्षर किये हुये मिले, जो संदिग्ध होने पर कब्जा एसीबी लिया गया, तदुपरांत श्री आर0के0 लूथरा की सीट के पास फर्श पर एक काले रंग का बैग, जिस पर अंग्रेजी में वीईआरजीई लिखा हुआ है, जिसके उपर की जेब में एक सफेद लिफाफे में 500-500 रूपये के 104 नोट कुल राशि 52,000/रूपये व अन्य जेब में श्री आर0के0 लूथरा का पेन कार्ड एवं सचिवालय में प्रवेश का अस्थाई प्रवेश पत्र मिला, उक्त दस्तावेजो व राशि 52,000/रूपये को संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया, जिनको पृथक से नियमानुसार जरिये फर्द जप्त किया गया। अन्तावरोध वार्ताओं के आधार पर श्री कमल सिंह, यूडीसी आरएसआरडीसी लि0 सीकर यूनिट द्वारा रिश्वत लेन-देन के संबंध में संदिग्ध वार्ताएं होना तकनिकी शाखा द्वारा अवगत कराया गया है। अतः श्री कमलसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह, निवासी म.नं. 145, महात्मा गांधी नगर, डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर को तलाश कर उनके दो मोबाईल फोन एप्पल आईफोन 14प्रो मैक्स एवं वनप्लस नोर्ड 2टी को कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त मोबाईलों की अनुसंधान में आवश्यकता होने से जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर रिश्वती राशि बरामदगी घटना स्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का नियमानुसार नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मौके की आवश्यक कार्यवाही शेष नहीं है तथा ब्यूरो कार्यालय नजदीक होने के कारण अग्रिम शेष कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में संपादित करने का निर्णय लिया जाकर समय 06.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, समस्त ट्रेप टीम व डिटेनशुदा तीनों संदिग्ध आरोपीगणों के मय ट्रेप बाॅक्स, लैपटाॅप प्रिन्टर मय साजो सामान व कब्जा एसीबी लिये गये आर्टिकल्स संदिग्धों के वाहन आदि हमराह लेकर ब्यूरो के सरकारी वाहनों के कार्यालय आरएसआरडीसी जयपुर से रवाना

होकर समय 06.20 ब्यूरो कार्यालय पहुंच अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपीगण श्री महेशचन्द गुप्ता, श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्री सियाराम चन्द्रावत से अन्तावरोध वार्ताओ के क्रम में पुनः पृथक-पृथक पूछताछ की गई। उपरोक्तानुसार आरोपीगण से की गई पूछताछ, बरामद रिश्वत राशि 1,20,000/- रूपये एवं अन्तावरोध वार्ताओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आरोपी श्री महेशचन्द गुप्ता, कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, श्री लक्ष्मण सिंह परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी भरतपुर, श्री सियाराम चन्द्रावत, परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी धौलपुर एवं आरएसआरडीसी के अन्य लोकसेवको ने आपसी मिलीभगत कर लोकसेवक के पद पर होते हुये, राजकोष के धन का दुरूपयोग करते हुये वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से ठेकेदारों/संवेदको से मिलीभगत कर बजट आवंटन, निविदा में पक्षपात करना एवं ठेकेदारों/संवदको द्वारा किये गये कार्यो के बिलो के भुगतान कराने की एवज में परियोजना निदेशकों द्वारा रिश्वती राशि एकत्रित कर स्वयं के लिए एवं श्री महेशचन्द गुप्ता एवं प्रबंध निदेशक श्री सुधीर माथुर को देने की पुष्टी होने पर आज दिनांक 03.06.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर उपरोक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त श्री महेशचन्द गुप्ता, (सेवानिवृत एएओ) कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसआरडीसी जयपुर, श्री लक्ष्मण सिंह, परियोजना निदेशक भरतपुर व श्री सियाराम चन्द्रावत, परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर को रिश्वती राशि का आदान-प्रदान करना पाया गया। अतः संदिग्ध आरोपीगण (1) श्री महेशचन्द (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर, (2) श्री लक्ष्मण सिंह हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर एवं (3) श्री सियाराम चन्द्रावत हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआडीसी यूनिट धौलपुर के विरूद्ध अपराध अन्तगत धारा 7, 7क, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भादसं प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। तीनों आरोपीगण को नियमानुसार अपनी-अपनी आवाज का नमूना देने के संबंध में पृथक-पृथक नोटिस दिया गया जिस पर तीनों आरोपीगण ने अपनी-अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया गया। अतः आरोपीगण (1) श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सांवलियाराम गुप्ता, उम्र-67 साल, निवासी-जाट की सराय स्टेडियम के सामने, बयाना रोड, पुलिस थाना-हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल निवास-डी-205, भव्य ग्रीन अपार्टमेन्ट, जगतपुरा जयपुर (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर, (2) श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह गुर्जर, उम्र-43 साल, निवासी-गांव-खखावली, गुर्जर मौहल्ला, पुलिस थाना-जालूकी, तहसील-नगर, जिला भरतपुर हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर एवं (3) श्री सियाराम चन्द्रावत पुत्र श्री कन्दूरी लाल मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-मण्डावरा, पोस्ट-कुडगांव, पुलिस थाना-कुडगांव, जिला करौली हाल किरायेदार-ई-33, कुसुम विहार, जगतपुरा जयपुर हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआडीसी युनिट धौलपुर का कृत्य अपराध अन्तगत अन्तगत धारा 7, 7क, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार बाद पूछताछ व जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण श्री महेशचन्द गुप्ता, श्री लक्ष्मणसिंह पीडी, श्री सियाराम चन्द्रावत एवं संदिग्ध श्री कमलसिंह के मोबाईल फोन जिनको पूर्व में कब्जा एसीबी लिया गया था उक्त मोबाईल फोन को बाद परीक्षण जरिये फर्द पृथक से जब्त किया गया। आरोपी श्री महेशचन्द की कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 आरजे 45 सीजेड 5196 जिसमें रिश्वत राशि 1,20,000/- बरामद हुई थी तथा आरोपी श्री सियाराम चन्द्रावत की कार नं. आरजे 34 टीए 1687 जिसमें संदिग्ध राशि 44,000/- बरामद हुये को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया गया। उक्त गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में आरोपीगण श्री महेशचन्द गुप्ता, श्री लक्ष्मण सिंह व श्री सियाराम चन्द्रावत एवं श्री बाबूलाल के मोबाईल अन्तावरोध पर होने से ब्यूरो मुख्यालय पर उक्त वार्ताऐ दर्ज रिकार्ड है। जिनका विश्लेषण कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने पर आरोपीगणो की आपसी मिलिभगत, अन्य आरोपीगणों की लिप्तता, प्राप्त की गई रिश्वत राशि के साक्ष्य व रिश्वत प्राप्त करने व देने के विस्तृत तथ्य प्रकट होंगे एवं तदुपरान्त रिश्वत राशि के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा। प्रकरण में अब तक की गई गोपनीय ट्रेप कार्यवाही, आरोपीगण से की गई पूछताछ, बरामद रिश्वत राशि 120000/- रूपये व अन्य संदिग्ध राशि, अन्तावरोध वार्ताओं के विश्लेषण से आरोपी महेश चन्द गुप्ता, सेवानिवृत एएओ ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउन्टस, आरएसडीसी जयपुर द्वारा विभिन्न जिलों में चल रहे विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यो के लिये संबंधित परियोजना निदेशको तथा ठेकेदारों से मिलीभगत कर बजट आवंटन और बिल भुगतान करवाने की एवज में ठेकेदारों व परियोजना निदेशकों से स्वयं के लिए तथा आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर माथुर के लिये दिनांक 03.06.2024 को रिश्वत राशि 120000/- रूपयों के रूप में अवैद्य पारितोषण प्राप्त करना, आरोपी श्री लक्ष्मण सिंह, हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर द्वारा जिला भरतपुर व डीग में एवं आरोपी श्री सियाराम चन्द्रावत द्वारा जिला धौलपुर-करौली में चल रहे विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यो के लिये विभिन्न ठेकेदारों से मिलीभगत कर उनकों आवंटित कार्यो और कार्यो से संबंधित बिलों का भुगतान करवाने की एवज में विभिन्न ठेकेदारों से स्वयं के लिए, महेश चन्द गुप्ता तथा एमडी सुधीर माथुर के लिए कमीशन के रूप में रिश्वत राशि एकत्रित कर उक्त को रिश्वत राशि देना पाया गया है। प्रकरण में सूत्र सूचना रिपोर्ट, अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुये तथ्यों से श्री मनीष ठेकेदार द्वारा एमडी साहब, लक्ष्मणसिंह पीडी को रिश्वत राशि देने के संबंध में संदिग्ध वार्ताएं किया जाना प्रकट हुआ है। उक्त तथ्यों से श्री मनीष ठेकेदार के द्वारा रिश्वत राशि लेन-देन करना पाया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री आर.के. लूथरा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर-द्वितीय के कार्यालय कक्ष से उनके बैंग से मिली संदिग्ध राशि 52000/- रूपये एवं अन्तावरोध वार्ताओं से

प्रकट हुये तथ्यों से श्री आरके लूथरा के द्वारा अवैध पारितोषण प्राप्त करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट हुये है। यह उल्लेखनीय है कि अन्तावरोध वार्ताओं तथा उपरोक्तानुसार की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी महेश चन्द गुप्ता, सेवानिवृत एएओ ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउन्टस, आरएसडीसी जयपुर द्वारा विभिन्न जिलों में चल रहे विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यो के लिये संबंधित परियोजना निदेशको तथा ठेकेदारों से मिलीभगत कर बजट आवंटन और बिल भुगतान करवाने की एवज में ठेकेदारों व परियोजना निदेशकों से स्वयं के लिए तथा आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर माथुर के लिये रिश्वत राशि लेने के तथ्य बार-बार प्रकट हुये है, इसके अतिरिक्त अन्तावरोध वार्ताओं में ठेकेदारो द्वारा भी रिश्वत राशि प्रबन्ध निदेशक श्री सुधीर माथुर को पहुंचाने के तथ्य प्रकट हुये है। उक्त तथ्यों से प्रबन्ध निदेशक श्री सुधीर माथुर द्वारा परियोजना निदेशकों व ठेकेदारों के चाहे अनुसार बजट आंवटन करने एवं बिलों के भुगतान करने की एवज में अवैध पारितोषण प्राप्त करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट हुये है। अतः आरोपिगण (1) श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सांवलियाराम गुप्ता, उम्र-67 साल, निवासी-जाट की सराय स्टेडियम के सामने, बयाना रोड, पुलिस थाना-हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल निवास-डी-205, भव्य ग्रीन अपार्टमेन्ट, जगतपुरा जयपुर (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर, (2) श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह गुर्जर, उम्र-43 साल, निवासी गांव खखावली, गुर्जर मौहल्ला, पुलिस थाना जालूकी, तहसील-नगर, जिला भरतपुर हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर (3) श्री सियाराम चन्द्रावत पुत्र श्री कन्दूरी लाल मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-मण्डावरा, पोस्ट-कुडगांव, पुलिस थाना-कुडगांव, जिला करौली हाल किरायेदार-ई-33, कुसुम विहार, जगतपुरा जयपुर हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआरडीसी युनिट धौलपुर (4) श्री मनीष ठेकेदार (5) श्री आर.के. लूथरा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर-द्वितीय, आरएसआरडीसी, जयपुर एवं (6) श्री सुधीर माथुर, प्रबन्ध निदेशक, आरएसआरडीसी, जयपुर का कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7क व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सूत्र सूचना रिपोर्ट, अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुये तथ्यों एवं संदिग्धों की कार व कार्यालायों से जप्तशुदा संदिग्ध राशि क्रमशः 120000/-, 44000/-, 22500/-, 15000 रूपये व दस्तावेज/पत्रावलीयों से संदिग्ध श्री बाबूलाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी सीकर, पुष्पेन्द्र (ठेकेदार), संजू (ठेकेदार), सांवरिया (ठेकेरार), रेवती (कार्यालय कर्मी) आरएसआरडीसी भरतपुर, आर.पी. शर्मा ठेकेदार, आदि जिम्मेदार पदाधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाकर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। अतः आरोपीगण (1) श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सांवलियाराम गुप्ता, उम्र-67 साल, निवासी-जाट की सराय स्टेडियम के सामने, बयाना रोड, पुलिस थाना-हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल निवास-डी-205, भव्य ग्रीन अपार्टमेन्ट, जगतपुरा जयपुर (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर, (2) श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह गुर्जर, उम्र-43 साल, निवासी गांव खखावली, गुर्जर मौहल्ला, पुलिस थाना जालूकी, तहसील-नगर, जिला भरतपुर हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर (3) श्री सियाराम चन्द्रावत पुत्र श्री कन्दूरी लाल मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-मण्डावरा, पोस्ट-कुडगांव, पुलिस थाना-कुडगांव, जिला करौली हाल किरायेदार-ई-33, कुसुम विहार, जगतपुरा जयपुर हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआरडीसी युनिट धौलपुर (4) श्री मनीष ठेकेदार (5) श्री आर.के. लूथरा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर-द्वितीय, आरएसआरडीसी, जयपुर (6) श्री सुधीर माथुर, प्रबन्ध निदेशक, आरएसआरडीसी, जयपुर एवं अन्य लोक सेवक व प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद्ध अर्न्तगत अर्न्तगत धारा 7, 7क व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भादस में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिमान्शु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय के माध्यम से श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7क व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भादस में आरोपीगण (1) श्री महेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सांवलियाराम गुप्ता, उम्र-67 साल, निवासी-जाट की सराय स्टेडियम के सामने, बयाना रोड, पुलिस थाना-हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल निवास-डी-205, भव्य ग्रीन अपार्टमेन्ट, जगतपुरा जयपुर (सेवानिवृत्त एएओ) ट्रेजरी करौली, हाल कंसल्टेन्ट अकाउंट्स, आरएसडीसी जयपुर, (2) श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह गुर्जर, उम्र-43 साल, निवासी गांव खखावली, गुर्जर मौहल्ला, पुलिस थाना जालूकी, तहसील-नगर, जिला भरतपुर हाल परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी यूनिट भरतपुर (3) श्री सियाराम चन्द्रावत पुत्र श्री कन्दूरी लाल मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-मण्डावरा, पोस्ट-कुडगांव, पुलिस थाना-कुडगांव, जिला करौली हाल किरायेदार-ई-33, कुसुम विहार, जगतपुरा जयपुर हाल परियोजना निदेशक, कार्यालय आरएसआरडीसी युनिट धौलपुर (4) श्री मनीष ठेकेदार (5) श्री आर.के. लूथरा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर-द्वितीय, आरएसआरडीसी, जयपुर (6) श्री सुधीर माथुर, प्रबन्ध निदेशक, आरएसआरडीसी, जयपुर एवं अन्य लोक सेवक व प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय को मनोनीत किया गया। उक्त

की रोजनामचा आम रपट 76 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 558-63 दिनांक 5.06.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या 1 जयपुर। 2 मुख्य अभियन्ता,एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान जयपुर। 3 प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय 6.श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/06/2024 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/12/1957				
2	Male	21/06/1981				
3	Male	01/04/1987				
4	Male	1984				
5	Male	20/08/1966				
6	Male	01/09/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)